उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007, दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229	क्षेत्रीय कार्यालय: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308, दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, **E-mail:** contactuprera@up-rera.in,
Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBDlV3UWtl-tGBhPVA&s=08,
Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL,
Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qaJaOVbA4fj-Oyao

प्रेस नोट

लखनऊ- 24.08.2024

गौतमबुद्धनगर के पाँच प्रोमोटर्स की परियोजनाओं के आवंटी अपना दावा आई.आर.पी. को दें- उ.प्र. रेरा

- उ.प्र. रेरा अब सुपरटेक रियाल्टर्स प्रा.लि., सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लि., अजनारा रियलटेक लि., रुद्रा बिल्डवेल कन्सट्रक्शन्स प्रा.लि. तथा गायत्री हॉस्पिटॉलिटी रियलकॉन लि. के आवंटियों के शिकायतों की सुनवाई नहीं करेगा।
- एन.सी.एल.टी. के आदेश से इन सभी पाँच प्रोमोटर्स के विरूद्ध आई.बी.सी. के अन्तर्गत सी.आई.आर.पी. प्रारम्भ हो गयी है।
- एन.सी.एल.टी. द्वारा पांचों कम्पनियों के मामले में आई.बी.सी. की धारा-14 के अन्तर्गत मॉरेटोरियम लगा दिया गया है और आई.आर.पी. नियुक्त कर दिया गया है।
- रेरा द्वारा इन प्रोमोटर्स की परियोजनाओं के आवंटियों को सूचित कर दिया गया है कि वे अपने दावे आई.आर.पी. के समक्ष तत्काल प्रस्तुत कर दें।

लखनऊ / गौतमबुद्धनगरः उ.प्र. रेरा द्वारा सुपरटेक रियल्टर्स प्रा.लि., सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लि., अजनारा रियलटेक लि., रुद्रा बिल्डवेल कन्सट्रक्शन्स प्रा.लि. तथा गायत्री हॉस्पिटॉलिटी रियलकॉन लि. की परियोजनाओं से जुड़े आवंटियों को सूचित किया गया है कि वे अपने दावे एन.सी.एल.टी. द्वारा नियुक्त आई.आर.पी. के समक्ष तत्काल प्रस्तुत कर दें ताकि दावे न प्रस्तुत करने के कारण उन्हें कोई नुकसान न हो। इन कम्पनियों की परियोजनाएं तथा आई.आर.पी. इस प्रकार हैं-

प्रोमोटर	परियोजनाएं	आई.आर.पी.
सुपरटेक रियाल्टर्स प्रा.लि.	सुपरनोवा फेज 1 2, 3 एवं 4	अंजू अग्रवाल
सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लि.	गोल्फ कन्ट्री फेज-1, 2, 3 एवं 4	उमेश सिंघल

अजनारा रियलटेक लि.	प्राइम टावर ली गार्डेन (टावर-च्), ली गार्डेन फेज-1, 2, 3 एवं 4, ली गार्डेन (टावर- ए, बी एंड सी)	अमर पाल
रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शंस प्रा.लि.	केबीनोज	मोहित गोयल
गायत्री हॉस्पिटॉलिटी रियलकॉन लि.	गायत्री औरा	आनन्द सोनभद्र

एक बार जब सी.आई.आर.पी. की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है तो आई.बी.सी. की धारा-14 के अनुसार मॉरैटोरियम लागू हो जाता है और किसी भी न्यायालय या ट्राईब्यूनल या प्राधिकरण में उस कम्पनी के विरूद्ध शिकायतों या मुकदमों की सुनवाई अथवा पूर्व में पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर रोक लग जाती है। एन.सी.एल.टी. के आदेश के परिणाम स्वरूप उ.प्र. रेरा द्वारा आवंटियों की शिकायतों पर सुनवाई रोक दी गयी है तथा लम्बित शिकायतों के साथ-साथ अपने पूर्व आदेशों के कार्यान्वयन को भी 'अबेएन्स' में रख दिया गया है। रेरा द्वारा इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी आवंटी द्वारा कहीं दुविधा वश अपना दावा आई.आर.पी. के समक्ष न प्रस्तुत किया जाए और ऐसे आवंटी का नुकसान हो जाए, अपने स्तर से भी उन्हें सूचित कर दिया गया है कि वह अपने दावे तत्काल सम्बन्धित आई.आर.पी. के समक्ष प्रस्तुत कर दें। यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि सम्बन्धित आई.आर.पी. द्वारा भी परियोजनाओं के आवंटियों को पब्लिक नोटिस के माध्यम से दावे तथा क्लेम्स प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जाता है।

श्री संजय भूसरेड्डी अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा द्वारा जानकारी दी गयी है कि उ.प्र. रेरा एन.सी.एल.टी. के आदेशों को ट्रैक करता रहता है और जब भी एन.सी.एल.टी. द्वारा किसी प्रोमोटर कम्पनी के विरूद्ध सी.आई.आर.पी. प्रारम्भ की जाती है, आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रेरा के पोर्टल पर उपलब्ध ई-मेल तथा मोबाइल के माध्यम से उन्हें सूचित कर दिया जाता है कि वह अपने दावे तथा क्लेम्स आई.आर.पी. के समक्ष प्रस्तुत कर दें। आवंटियों को स्वयं भी इस दिशा में सजग रहना चाहिए।